राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1968/2023

कृष्ण मोहन पाण्डे **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर (राज.)।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा रेंज, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.08.2023

आदेश की दिनांक : 22.10.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री मनीष कुमार शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 24.03.1992 के द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी और आदेश दिनांक 29.09.1997 एवं 30.09.1997 के द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रयोगशाला सहायक तृतीय के पद का रिक्त पद से वेतन आहरित किया गया और आदेश दिनांक 23.07.1994 के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भुसावर पदस्थापित किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को प्रथम चयनित

वेतनमान, द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 01.07.2010 से प्रदान किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी तृतीय चयनित वेतनमान 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01.07.2019 से प्राप्त करने का अधिकारी है। परंतु आज दिनांक तक अपीलार्थी को उक्त लाभ नहीं दिया गया, जो नियम विरूद्ध है। राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.07.2013 के तहत अध्यापक ग्रेड तृतीय का वेतनमान प्राप्त करने का हकदार है और इस प्रकार अपीलार्थी को 9 एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है और 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी ग्रेड पे 5400 का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त लाभ से वंचित रखा गया है, जबकि माननीय अधिकरण एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में उक्त लाभ से वंचित रखा जाना अनुचित माना है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को उसकी सेवाओं की गणना करते हुये 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ ग्रेड पे 5400 दिया जाने का आदेश फरमाये जावें और मय शेष राशि सहित 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 24.03.1992 के द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी और आदेश दिनांक 29.09.1997 एवं 30.09.1997 के द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रयोगशाला सहायक तृतीय के पद का रिक्त पद से वेतन आहरित किया गया और आदेश दिनांक 23.07.1994 के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भुसावर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान, द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 01.07.2010 से प्रदान किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी तृतीय चयनित वेतनमान 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01.07.2019 से प्राप्त करने का अधिकारी है। जहां तक अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिये जाने का प्रश्न है,

वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड पे 3600 होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. की ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 रुपये है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं, अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है। जो प्रयोगशाला सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित हो गए हैं वे अध्यापक के पद के चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी की 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवायें पूर्ण होने पर नियमानुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 प्रदान किया जावे और यदि उक्त नियमानुसार उक्त ग्रेड पे प्रदान की गई हैं तो उक्त मामले के संबंध में अपीलार्थी से कोई राशि वसूल नहीं की जावे और यदि उससे कोई राशि वसूल की गई हो तो उक्त राशि उसे तीन माह की अवधि में लौटाई जाए। यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्रत्याहृत (withdraw) नहीं किए जाएं। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह सुनिश्चित करे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष